

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा नं० राजस्व प्रकरण 138/2019

प्रार्थी :-

1. जालाराम चारंगी पुत्र गोबरराम जाति मैगवाल
2. मोहिनी चारंगी जालाराम चारंगी जाति मैगवाल  
निवासी बुडीवाडा तहसील पंचपदरा जिला बाळमेर।

द्वारा

विप्राथीगण :-

1. मेघाराम पुत्र सुशास्त्रराम
2. रामाराम पुत्र सुशास्त्रराम
3. तुलसीदेवी पत्नी सुशास्त्रराम
4. तुलसाराम पुत्र भीमाराम
5. रतनाराम पुत्र भीमाराम
6. येनाराम पुत्र सदाराम जाति कलबी निवासीगान बुडीवाडा
7. राजस्थान सरकार जरिदे तहसीलदार पंचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान राठभू राठ अधि  
बाबत पत्थरगडी व नेखबन्दी करवाने हेतु

उपस्थित :-

1. श्री जयलाराम प्रार्थीगण वकील
2. श्री कैलाश माहेरवरी विप्राथीगण वकील
3. श्रीसंतोष भंसाली विप्राथीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :- 22.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगडी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बुडीवाडा पटवार हल्का जामसा तहसील पंचपदरा के खसरा संख्या 814/179 रकबा 0.02 बीघा, एवं खसरा सं. 813/179 रकबा 26.18 बीघा, ख.स. 1256/179 रकबा 2.02 बीघा में आई हुई है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्राथीगण संख्या 1 ता 7 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेडा पडोती है। विप्राथीगण सं. 1 ता 7 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के सेडा पडोती होने के कारण प्रार्थी एवं विप्राथीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओं की बाउण्ड्री को लेकर भारी संशय व्याप्त है। विप्राथीगण खातेदारी भूमि के सेडा नाट को लेकर विवाद उत्पन्न करने में आमादा है। प्रार्थी के कब्जा कास्त में अक्सर सेडों को लेकर विवाद करते रहते हैं।

प्रार्थी एवं विप्राथीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है।

कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगडी पैमाईश एवं नेखबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पैमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा (राज.)



प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 19.07.2019 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के वकील उपस्थित । दिनांक 5.11.2020 को जबाब पेश किया गया । विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित । अतः उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । दिनांक 10.07.2019 की सीमाकन मौका फर्द रिपोर्ट पत्रावली में पेश की गयी ।

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना गया । विप्रार्थीगण वकील ने कथन किया कि सभी पक्षकारान की उपस्थित में सीमाकन करवाते हुवे नेखमबंदी की जावे । जिसे प्रार्थीगण वकील ने भी सहमती प्रदान की । सीमाकन मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है । प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 814/179 रकबा 0.02 बीघा, एवं खसरा सं. 813/179 रकबा 26.18 बीघा, ख.स. 1256/179 रकबा 2.02 बीघा प्रार्थी की विवादित भूमि का पैमाईश एवं नेखमबंदी करने हेतु भूमापक भूनिरीक्षक जसोल को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर वे दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हों मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रुपये नियत किये जाते है । जिसे प्रार्थीगण कमिश्नर शुल्क अदा करें । यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस जाब्ता प्राप्त करें ।



पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(निवेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालेश्वर (राज.)

आज दिनांक 22.01.2021 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निवेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालेश्वर (राज.)